

## **अध्याय-IV**

**लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों  
की गुणवत्ता**



### लेखाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग रीतियों की गुणवत्ता

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ एक यथार्थ आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रमुख रूप से संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन में योगदान देती है। इस प्रकार वित्तीय नियमावली, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की सामयिकता तथा गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन तथा नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालनात्मक हो, तो कार्यनीति योजना बनाने तथा निर्णय लेने सहित इसके आधारभूत कार्यधीशता उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करते हैं।

### लेखाओं की पूर्णता संबंधी मुद्दे

#### 4.1 संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लोक लेखा या समेकित निधि से बाहर की निधियाँ

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 67 उपबंध करती है कि भारत सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में प्राप्त सभी राजस्व या किसी भी मामले के संबंध में उपराज्यपाल, जिसके संबंध में संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है और भारत की समेकित निधि से संघ शासित क्षेत्र को दिये गये सभी अनुदान तथा दिये गये ऋण और संघ शासित क्षेत्र की समेकित निधि की प्रतिभूति पर भारत सरकार या संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा लिये गये सभी ऋण और संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि निर्मित करेगी। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में उपबंधित रीति और उद्देश्य के लिए तथा विधि के अनुरूप के अतिरिक्त, इस निधि से कोई धन विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुनर्भुगतान इत्यादि), जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि (प्रभारित व्यय) पर प्रभार का निर्माण करती हैं और विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यधीन नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधानमण्डल द्वारा दत्तमत होते हैं।

#### 4.1.1 भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर

भारत सरकार ने कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर उदग्रहण एवं संग्रहण करने के लिए भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। अधिनियम, अन्य बातों के साथ, एक भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन और अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक सरकार द्वारा नियमावली तैयार करना अनिवार्य है। तदनुसार, जम्मू एवं कश्मीर की तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिनियम के अंतर्गत भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियमावली 2006 बनायी और 2007 में जम्मू एवं कश्मीर भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड श्रम उपकर जमाओं के रूप में सरकार द्वारा जमा की गई राशि का परिचालन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने उसी नियमावली को जारी रखा। वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र सरकार ने विभिन्न प्रमुख मदों के अंतर्गत श्रम उपकर के रूप में ₹124.41 करोड़ का संग्रहण किया और सम्पूर्ण राशि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित कर दी। 31 मार्च 2021 को श्रम उपकर का अंतशेष ₹615.58 करोड़ था।

#### 4.1.2 जल उपयोग प्रभार

25 अक्टूबर 2012 और 27 अक्टूबर 2014 को संशोधित जम्मू एवं कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन कंपनियों पर 5 पैसे से 25 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर पानी की दर से जल उपयोग प्रभारों की उगाही की जा रही है। अधिनियम के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर बैंक में एक खाता संख्या के रूप में एक निधि को निर्मित किया जाना था या एक उचित लेखा शीर्ष का आबंटन किया जाना था। जल उपयोग प्रभार के रूप में वसूल की गई राशि को इस प्रकार सृजित किये गये लेखे/शीर्ष में जमा किया जाना था तथा जलविद्युत और बहु-उद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए और राज्य में पहले से स्थापित जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को पुनः खरीदने और बिजली की खरीद के लिए उपयोग किया जाना था। 31 मार्च 2021 तक जल उपयोग प्रभारों/ब्याज के कारण ₹15.31 करोड़ की राशि उपर्युक्त बचत बैंक खाते में थी जो संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की समेकित निधि से बाहर रही।

### 4.1.3 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) के बैंक खातों में पड़ी हुयी अव्ययित राशि

संघ शासित क्षेत्र (अगस्त 2021) सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 2021 तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के केवल नौ डीडीओ के बचत/ चालू बैंक खाते में ₹25.39 करोड़ की राशि पड़ी हुयी थी। अन्य विभागों से संबंधित सूचना संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की सरकार से प्रतीक्षित (अगस्त 2021) थी। परिणाम स्वरूप, ₹25.39 करोड़ की राशि सरकारी लेखे से बाहर रही।

### 4.2 कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ

भारत सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को महत्वपूर्ण निधियाँ हस्तांतरित करती है। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के अनुसार, केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ने 2020-21 की अवधि के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों को सीधे हस्तांतरित निधियों की राशि ₹917.68 करोड़ (परिशिष्ट 4.1) थी। यह संघ शासित क्षेत्र के बजट के माध्यम से सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी राशि (₹6,533.49 करोड़) का 14.05 प्रतिशत है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकायों, केन्द्र सरकार के संगठनों, समितियों इत्यादि को सीधे ₹1,843.51 करोड़ की राशि निर्मोचित की।

योजनाएं, जहाँ 2020-21 तक की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष वित्त पोषण ₹100 करोड़ से अधिक था, नीचे दी गयी हैं:

तालिका 4.1: भारत सरकार द्वारा सरकारी विभागों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार की योजनाओं का नाम	कार्यान्वयन अभिकरणों का नाम	वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मोचन
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि उत्पाद विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार	708.83
2	एनएफएसए के अंतर्गत एफपीएस डीलर मार्जिन तथा खाद्यान्नों की अंतर्राज्यीय गतिशीलता के लिए राज्य अभिकरणों को सहायता	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर	137.84

स्रोत: वित्त लेखे

### 4.3 स्थानीय निधियों की जमाएं

जम्मू एवं कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में उपबंधित है कि हलका पंचायत हलका पंचायत निधि का अनुरक्षण करेगी। इसे मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमाएं-109-पंचायत निकाय निधियाँ के अंतर्गत रखा जाना है, जिसमें अधिनियम के अंतर्गत वसूल या वसूली योग्य सभी धन और पीआरआई द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशि, जैसे सरकार से प्राप्त अनुदान और अपने स्वयं के राजस्व शामिल होंगे, जिसमें पंचायत की कर और गैर-कर प्राप्तिसम्मिलित है। नगरपालिका अधिनियम उपबंधित करता है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा प्रतिधारित किया जाना है। इस अधिनियम के अंतर्गत वसूल या वसूली योग्य समस्त धनराशि और नगरपालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त समस्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमाएं-102-नगरपालिका निधियाँ के अंतर्गत नगरपालिका निधि में रखा जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान उपर्युक्त दो स्थानीय निधियों के अंतर्गत प्राप्ति और व्यय को तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निधियों की जमाएं

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2020-21		
पंचायत निधि	(8448-109)	अथ शेष	1	शून्य
		प्राप्ति	2	शून्य
		व्यय	3	शून्य
		अंत शेष	4	(शून्य) 0.27
वर्ष के अंत में कुल अंत शेष				
नगरपालिका निधि	(8448-102)	अथ शेष	5	60.26
		प्राप्ति	6	705.53
		व्यय	7	490.52
		अंत शेष	8	275.27 (133.39)

\* वित्त लेखों कोष्ठकों में आँकड़े तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त अंत शेष को दर्शाते हैं जिन्हें दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित किया जाना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान पंचायत निधि से कोई प्राप्ति तथा व्यय नहीं हुआ है। हालांकि, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ₹0.27 करोड़ का अंतशेष है। वर्ष 2020-21 के दौरान नगरपालिका निधि ₹60.26 करोड़ से बढ़कर ₹275.27 करोड़ हो गयी, इसके अलावा जम्मू एवं कश्मीर राज्य का ₹133.39 करोड़ का अंतशेष भी है जिसे दो संघ शासित क्षेत्रों के बीच विभाजित किया जाना है।

## पारदर्शिता संबंधी मुद्दे

### 4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

30 सितंबर 2019 तक तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जारी अनुदानों के लिए 31 मार्च 2021 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति को, जो अभी भी विभाजित किये जाने हैं, तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुतिमें वर्ष-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष*	अथ शेष		जोड़		निर्बाधता		प्रस्तुति हेतु देय	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	1,133	4,488.84	442	2,585.06	114	1,347.91	1,461	5,725.99
2019-20	1,461	5,725.99	502	2,639.91	157	1,391.70	1,806	6,974.20
2020-21	1,806	6,974.20	1,409	3,102.38	0.00	0.00	3,215	10,076.58

\* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण वर्ष के 18 महीनों के उपरांत

30 सितंबर 2019 तक प्रदत्त अनुदानों हेतु ₹10,076.58 करोड़ की राशि के 3,215 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2020 तक बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)


वर्ष*	यूसी की संख्या	राशि
2018-19 तक	1,461	5,725.99
2019-20	345	1,248.21
2020-21	1,409	3,102.38
<b>कुल</b>	<b>3,215</b>	<b>10,076.58</b>

\* उपर्युक्त वर्णित वर्ष "देय वर्ष" से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण वर्ष के 18 महीनों के उपरांत

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण दर्शाता है कि कुल बकाया प्रमाण-पत्रों में से 83.90 प्रतिशत निम्नलिखित चार विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से 57.07 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र केवल शिक्षा विभाग से संबंधित हैं।

चार्ट 4.1: सितंबर 2019 तक प्रदत्त अनुदानों हेतु मुख्य विभागों के संबंध में बकाया यूसी

(₹ करोड़ में)



उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्षों से निधियों का व्यय कैसे किया गया। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यदि ऐसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र पूँजीगत व्यय हेतु सहायता अनुदान के प्रतिलंबित हैं तो यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चूँकि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना दुर्विनियोजन के जोखिम से भरा होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार को इस पहलू का बारीकी से अनुवीक्षण करना चाहिए और संबंधित व्यक्तियों को समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

#### 4.5 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के प्रति आहरित राशि के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिल दो महीने के अवधि के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करने होते हैं। यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,187.43 करोड़ की राशि के 719 एसी बिल आहरित किये गये थे। 719 एसी बिलों में से, ₹2,379.15 करोड़ (45.86 प्रतिशत) की राशि के 604 एसी बिल केवल मार्च 2021 में आहरित किये गये। मार्च में एसी बिलों के प्रति व्यय इंगित करता है कि आहरण प्राथमिक रूप से बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए थे और अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2021 तक, विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 356 एसी बिलों पर ₹5,280.71 करोड़ की कुल राशि के डीसीसी बिल आहरित किये गये, परंतु प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षित एसी बिलों की विभाग-वार स्थिति निम्नानुसार है।




तालिका 4.5: संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विभागों से प्रतीक्षित डीसी बिल

क्र. सं.	विभाग का नाम	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2021 को कुल बकाया राशि ₹5,280.71 करोड़ का प्रतिशत
1.	लोक निर्माण	1,629.00	30.85
2.	ग्रामीण विकास	936.14	17.73
3.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	557.04	10.55
4.	शिक्षा	320.59	6.07
5.	आवास एवं शहरी विकास	308.93	5.85

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 4.2: संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य विभागों के संबंध में प्रतीक्षित डीसी बिल



स्रोत: वित्त लेखे

इसके अतिरिक्त, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य द्वारा 30 अक्टूबर 2019 (पुनर्गठन पूर्व) तक आहरित ₹6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 एसी बिलों के संबंध में डीसीसी बिल 31 मार्च 2021 तक प्रतीक्षित थे। इन बकाया डीसीसी बिलों का द्विभाजन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्रों के बीच अभी तक किया जाना है। सरकार आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों का विद्यमान नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित अवधि के अंदर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है।

#### 4.6 लघु शीर्ष-800 का अव्यवस्थित प्रयोग

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/ अन्य व्यय को केवल तभी परिचालित करना है जब लेखाओंमें समुचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। बजट और लेखांकन के लिए लघु शीर्ष-800 का नियमित परिचालन, राजस्व या व्यय के समुचित उद्देश्य के

लिए प्राप्ति/व्यय (जैसा भी मामला हो) की पहचान किये बिना लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है। वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान, ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों के लगभग 7.13 प्रतिशत का गठन करते हुए लेखाओं के 38 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3,741.00 करोड़ (मुख्य शीर्ष 0801 के अंतर्गत विद्युत और विविध विद्युत प्राप्तियों की बिक्री का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹2,349.74 करोड़ की राजस्व प्राप्ति सहित) को लघु शीर्ष-800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसी प्रकार, लेखाओं के 48 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹4,677.34 करोड़ का व्यय, जोकि ₹63,104.13 करोड़ के कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 7.41 प्रतिशत था, लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। उदाहरणार्थ जहाँ एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय का महत्वपूर्ण अनुपात (50 प्रतिशत या अधिक/ महत्वपूर्ण राशि) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत/ बुक किया गया था, उसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

सरकार लेखाओं में बेहतर स्पष्टता के लिए, प्रमुख योजनाओं की प्राप्तियों और व्यय को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत संयोजित करने के बजाय, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशियों और व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाने पर विचार कर सकती है।

**तालिका 4.6: वर्ष 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत बुक किया गया महत्वपूर्ण व्यय**

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय सहित कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के प्रति लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
2075-विविध सामान्य सेवाएं	1.15	1.00	86.96
2211-परिवार कल्याण	212.33	116.31	54.78
3452-पर्यटन	135.03	68.93	51.05
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7.37	7.37	100.00
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.46	70.46	100.00
4225-एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण तथा अल्पसंख्यकों पर पूँजीगत परिव्यय	31.28	30.94	98.91
4236-पोषण पर पूँजीगत परिव्यय	16.45	16.45	100.00

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 4.7: वर्ष 2020-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत बुक की गयी महत्त्वपूर्ण प्राप्तियाँ

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों सहित कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों के प्रति लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)		
0049-ब्याज प्राप्ति	17.86	17.76	99.44
0059-लोक निर्माण	25.49	19.18	75.25
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.15	13.01	67.94
0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.47	3.47	100.00
0701-प्रमुख और मध्यम सिंचाई	996.66	996.66	100.00
0702-लघु सिंचाई	9.42	8.65	91.83
0801-विद्युत	2,349.74	2,349.74	100.00

### माप संबंधी मुद्दे

#### 4.7 मुख्य उचंत एवं डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि की गणना समेकन रूप में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट और क्रेडिट शेष को अलग-अलग करके की जाती है। वर्ष 2020-21 के लिए महत्त्वपूर्ण उचंत मदों को सकल डेबिट और क्रेडिट शेष के रूप में तालिका 4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: उचंत एवं प्रेषणों के अंतर्गत शेष

लघु शीर्ष	2020-21		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/ क्रेडिट)
<b>8658- उचंत लेखा</b>	(₹ करोड़ में)		
101-पीएओ उचंत	56.67	0.01	56.66 (₹.)
102-उचंत लेखा (सिविल)	47.97	2.44	45.53 (₹.)
109-आरबीआई उचंत (मुख्ययालय)	0.16	0.05	0.11 (₹.)
110-आरबीआई उचंत (केन्द्रीय लेखे)	0.91	0.08	0.83 (₹.)

लघु शीर्ष	2020-21		
	डेबिट	क्रेडिट	निवल (डेबिट/ क्रेडिट)
112-स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचंत	-	221.00	221.00 (क्रे.)
139-जीएसटी-स्रोत उचंत पर कर कटौती	1.02	5.15	4.13 (क्रे.)
<b>8782- समान महालेखाकार/लेखा अधिकारियों को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य नकद प्रेषण और समायोजन-</b>			
110-विविध प्रेषण	-	632.57	632.57 (क्रे.)
8793-अंतर्राज्यीय उचंत लेखा	-	1.93	1.93 (क्रे.)


स्रोत: वित्त लेखे

#### 4.8 विभागीय आँकड़ों का गैर-मिलान

विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को, व्यय को बजट अनुदानों के अंदर रखने के लिए इस पर प्रभावी नियंत्रण करने और उनके लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके द्वारा उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (ले. व ह.) के बहीखातों में अभिलेखबद्ध आँकड़ों से किया जाना चाहिए। आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस संबंध में कोडल प्रावधानों और कार्यकारी अनुदेशों के प्रयोग/पालन में विफलता के परिणाम न केवल गलत वर्गीकरण और लेखाओं में प्राप्तियों और व्यय की गलत बुकिंग के रूप में होता है, बल्कि बजटीय प्रक्रिया का मूल उद्देश्य भी विफल होता है।

#### चार्ट 4.3 वर्ष 2020-21 के दौरान मिलान की स्थिति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹48,444.58 करोड़ की प्राप्तियों (लोक ऋण को छोड़कर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 92.28 प्रतिशत) और ₹40,905.14 करोड़ के व्यय (कुल राजस्व का 64.82 प्रतिशत) तथा ₹63,104.13 करोड़ के पूँजीगत व्यय का मिलान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) के साथ किया गया था।

#### 4.9 नकद शेषों का मिलान

31 मार्च 2021 तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन के पश्चात्) का नगद शेष प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार ₹1,447.69 करोड़ (डेबिट) तथा आरबीआई के अनुसार (जैसा कि प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा आंकलन किया गया था) ₹1,448.27 करोड़ (क्रेडिट) था। संघ शासित क्षेत्र सरकार तथा अभिकरण बैंक के मध्य गैर-मिलान के कारण ₹0.58 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। यह अंतर सरकार के साथ-साथ आरबीआई के साथ मिलानाधीन है। 30 अक्टूबर 2019 को आरबीआई और प्रधान महालेखाकार के आँकड़ों के मध्य ₹83.32 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर भी था, जिसे अभी तक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के बीच प्रभाजित किया जाना है।

#### प्रकटीकरण संबंधी मुद्दे

#### 4.10 लेखांकन मानकों का अनुपालन

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 71 के अनुसार, उपराज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के लेखाओं के प्रपत्र निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानकों (आईजीएस) को अधिसूचित किया है। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 2020-21 में इन लेखांकन मानकों का अनुपालन और उनमें कमियाँ नीचे दी गई हैं:

**तालिका 4.9: लेखांकन मानकों का अनुपालन**

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आईजीएस का सार	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	<b>आईजीएस-1:</b> <i>सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियाँ- प्रकटन आवश्यकताएं</i>	ऐसी प्रत्याभूतियों की एकरूपता और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखे का विवरण 9 तथा 20)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम राशि, प्रत्याभूतियों में वृद्धि, लोप जैसी विस्तृत सूचना, प्रत्येक संस्थान हेतु प्रत्याभूतियों के क्षेत्र तथा वर्ग को प्रस्तुत किया गया है।
2.	<b>आईजीएस-2:</b> <i>सहायता अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण</i>	सरकार के वित्तीय विवरणों में अनुदानकर्ता और अनुदानग्राही दोनों के रूप में सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना।	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे का विवरण 10)	(i) राजस्व अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने वाले कुछ सहायता अनुदानों को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।  (ii) संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदानों के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3.	<b>आईजीएस-3:</b> <i>सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम</i>	सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय रीतियों के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए।	अनुपालन नहीं किया गया (वित्त लेखे का विवरण 7 एवं 18)	संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा बकायों तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूलियों के विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये।

**4.11 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों (एबी) के लेखाओं की प्रमाणन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2), 19 (3) तथा 20 (1) के अंतर्गत संचालित की जाती है। उपर्युक्त धाराओं के अनुसार लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले एबी को प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखे प्रस्तुत करना आवश्यक है। आठ स्वायत्त निकायों के संबंध में, जिन्हें सीएण्डएजी को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने थे, 32 लेखे एक से 12

वर्षों के बीच तक की अवधि में प्रस्तुत नहीं किये गये थे, जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

**तालिका 4.10: स्वायत्त निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण**

क्र. सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	लंबित लेखे (वर्षों)	लंबित लेखाओं की संख्या 2020-21
1	प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए)	12	12
2	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी) श्रीनगर, कश्मीर	11	11
3	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एसकेयूएसटी), जम्मू	01	01
4	जेके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)	01	01
5	जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड	01	01
6	जेएण्डके खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी)	01	01
7	जेएण्डके भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	02	02
8	जेएण्डके राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)	03	03
	<b>कुल</b>		<b>32</b>

प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) ने 12 वर्षों के लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। एसकेयूएसटी, कश्मीर ने पिछले 11 वर्षों से लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। सरकार से पर्याप्त निधि प्राप्त करने वाले इन निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/विलंब से प्रस्तुत करना वर्षों से विद्यमान एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इस गैर-अनुपालन की दृष्टि से, इन सांविधिक निकायों के लेखापरीक्षित लेखे अभी तक राज्य/ संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जैसाकि उन संविधियों के अंतर्गत अपेक्षित है जिनके अन्तर्गत इन निकायों को सृजित किया गया था। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब/बकायों में पहचान नहीं की गयी वित्तीय अनियमितताओं का जोखिम होता है तथा यह धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की संभावना बढ़ाते हैं। इसने विधानमण्डल/सरकार को उनके कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर से भी वंचित किया है। सरकार समय पर लेखाओं को तैयार करने तथा संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुत करने हेतु निकायों के साथ मामले पर चर्चा कर सकती है।

संघ शासित क्षेत्र विधानमण्डल को प्रस्तुतीकरण हेतु लेखाओं की समय पर तैयारी और प्रस्तुति के लिए सरकार मामले को निकायों के साथ उठा सकती है।

#### 4.12 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/ निगम/ कंपनियाँ

वाणिज्यिक प्रकार के कार्यकलापों को करने वाले कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करना आवश्यक है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनकी संपूर्ण वित्तीय स्थिति तथा उनके व्यवसाय करने की कुशलता को प्रतिबिम्बित करते हैं। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सरकार के निवेश, सुधारात्मक उपायों में यदि कुछ आवश्यक हो, तो उसे समय पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विलंब धोखाधड़ी और लोक धन के रिसाव के जोखिम से भरा है।

सरकारी विभागों के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करते हैं तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत करते हैं। सरकार के ऐसे दो विभागीय उपक्रम हैं: (क) श्रीनगर एवं जम्मू में राजकीय मुद्रणालय तथा (ख) उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)। इन दोनों उपक्रमों के वाणिज्यिक परिचालनों के प्रोफॉर्मा लेखे बकाया हैं। दो राजकीय मुद्रणालयों ने 1968-69 से 2019-20 तक अपने प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कश्मीर द्वारा 1975-76 से 2019-20 तक तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जम्मू द्वारा 1973-74 से 1997-98 तक तथा 1999-2000 से 2019-20 तक प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये हैं। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा वार्षिक प्रोफॉर्मा लेखाओं की तैयारी की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन की वजह से, वित्तीय रिपोर्टिंग यथार्थ तथा विश्वसनीय नहीं हो सकती है।

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की कंपनियों/निगमों की लेखापरीक्षा की स्थिति **परिशिष्ट 4.2** में दर्शायी गयी है। वर्ष 2019-20 तक केवल चार कंपनियों के लेखाओं से संबंधित लेखापरीक्षा की गयी थी तथा 2018-19 तक चार कंपनियों तथा एक निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी थी। 17 कंपनियों/निगमों के संबंध में लेखाओं की लेखापरीक्षा 5 वर्ष से 17 वर्ष तक की अवधि हेतु बकाया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य वन निगम की लेखापरीक्षा 1996-97 में सौंपी गयी थी परंतु निगम ने कभी भी इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड को मार्च 2014 में निगमित किया गया था परंतु इस निगम ने भी कभी भी इसके लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं। लेखाओं को अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के



निवेश का परिणाम विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है तथा लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से भी बच जाता है। परिणामस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कुशलता में सुधार करने के लिए सुधारात्मक उपायों में, यदि कुछ आवश्यक हो तो, उसे समय पर नहीं किया जा सकता। धोखाधड़ी और लोकधन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकारी विभागाध्यक्षों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि विभागीय उपक्रम ऐसे लेखे तैयार करें तथा इन्हें लेखापरीक्षा के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), को प्रस्तुत करें।

#### 4.13 निकायों और प्राधिकरणों को दिये गये अनुदानों/ ऋणों के विवरण का गैर-प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (सीएण्डएजी के डीपीसी अधिनियम) की धारा 14 और 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा किये जाने वाले संस्थानों/ संगठनों की पहचान करने के लिए, सरकार/ विभागाध्यक्षों को प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है:

- विभिन्न संस्थानों को दी गयी वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की जाती है, और
- संस्थानों का कुल व्यय।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन (संशोधन) 2020 में उपबंध है कि सरकारें और विभागाध्यक्ष, जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक ऐसे निकायों और प्राधिकरणों जिन्हें अनुदान और/या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या उससे अधिक के ऋणों का भुगतान किया गया था, (क) सहायता की राशि, (ख) जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को दर्शाता हुआ विवरण प्रस्तुत करेंगे। हालांकि सरकार द्वारा उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी जो लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमन (संशोधन) 2020 का उल्लंघन है।

#### 4.14 लेखाओं की सामयिकता और गुणवत्ता

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं को 121 कोषागारों (20 जिला कोषागारों सहित) के प्रारंभिक लेखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञापनों के आधार पर संकलित किया गया है। चूँकि, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पहले ही निर्माण और वन प्रभागों के लिए सिविल लेखांकन प्रणाली (पिछले वर्षों में) को अपना लिया था, 2020-21 के दौरान इन प्रभागों से कोई मासिक लेखे देय नहीं थे। वर्ष 2020-21 के अंत में किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया था।

## अन्य मुद्दे

### 4.15 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में चर्चा किये गये मुद्दों हेतु कार्यकारिणी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति (पीएसी)/सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू), स्वप्रेरितकृत कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) को प्रस्तुत करने के लिए इस बात पर ध्यान न देते हुए कि इन समितियों द्वारा इन पर चर्चा की जा रही है या नहीं, प्रशासनिक विभागों को जून 1997 में अनुदेश जारी किये थे। इन एटीएन को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से तीन माह तक की अवधि के अंदर विधिवत् रूप से पुनरीक्षित करके इन समितियों को प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को 2008-09 से तैयार किया जा रहा है तथा वर्ष 2015-16 तक के प्रतिवेदनों को राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र 20 जून 2018 से राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन के अधीन है, अतः वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अन्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ संसद में प्रस्तुत किया गया है। इन प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों को राज्य/ संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

### 4.16 निष्कर्ष

- उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि प्राधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वर्षों से निधियाँ कैसे खर्च की गयी थी। इस बात का भी कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
- सरकार से पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने वाले निकायों द्वारा लेखाओं का गैर-प्रस्तुतीकरण/प्रस्तुतीकरण में विलंब एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसने विधानमण्डल को इन निकायों के कार्यकलापों तथा वित्तीय निष्पादन पर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर से वंचित किया।
- संक्षिप्त आकस्मिक बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिमों तथा उनके विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों को प्रस्तुत नहीं करने से अपव्यय/ दुर्विनियोजन/ दुराचरण इत्यादि की संभावना में वृद्धि हुई।

- विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत दर्ज व्यय और प्राप्तियों की महत्वपूर्ण राशि लेखाओं में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

#### 4.17 अनुशंसाएं

1. विभागों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्माचित अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समय पर प्रस्तुति को सुनिश्चित किया जाए।
2. आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों का वर्तमान नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित निर्धारित अवधि के अंदर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएं।
3. लेखाओं की समय पर तैयारी और प्रस्तुति को संबंधित स्वायत्त निकायों के साथ उठाया जाए।
4. संग्राही लघु शीर्ष 800 के परिचालन को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।
5. 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक की परिसंपत्तियों और देयताओं को दोनों संघ शासित क्षेत्रों के मध्य प्रभाजित किया जाए।

